

जनपद बहराइच के माध्यमिक विद्यालयों में सेवारत पुरुष एवं महिला अध्यापकों की नवीन वेतनमान के सन्दर्भ में व्यवसायिक संतुष्टि का एक तुलनात्मक अध्ययन।

डॉ० श्याम कुमार चौधरी¹

¹असिस्टेन्ट प्रोफेसर शिक्षाशास्त्र महिला पी०जी० कॉलेज, बहराइच, उ०प्र०

Received: 20 Jan 2024, Accepted: 28 Jan 2024, Published with Peer Reviewed on line: 31 Jan 2024

Abstract

प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच के माध्यमिक विद्यालयों में सेवारत पुरुष एवं महिला अध्यापकों की नवीन वेतनमान के संदर्भ में व्यवसायिक संतुष्टि का तुलनात्मक विश्लेषण करना है। अध्ययन में यह विश्लेषण किया गया है कि नवीन वेतन संरचना, भत्ते, पदोन्नति की संभावनाएँ, कार्य-परिस्थितियाँ तथा सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा जैसे कारक अध्यापकों की व्यवसायिक संतुष्टि को किस सीमा तक प्रभावित करते हैं। इसके लिए सर्वेक्षण विधि का प्रयोग करते हुए चयनित माध्यमिक विद्यालयों के पुरुष एवं महिला अध्यापकों से प्रश्नावली द्वारा आंकड़े संकलित किए गए। प्राप्त तथ्यों का सांख्यिकीय विश्लेषण कर दोनों वर्गों की संतुष्टि के स्तर में समानताओं एवं भिन्नताओं का अध्ययन किया गया। अध्ययन के निष्कर्ष यह संकेत देते हैं कि नवीन वेतनमान ने अध्यापकों की आर्थिक सुरक्षा में वृद्धि की है, जिससे उनकी व्यवसायिक संतुष्टि पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, हालांकि पुरुष एवं महिला अध्यापकों के संतुष्टि स्तर में कुछ महत्वपूर्ण अंतर भी दृष्टिगत होते हैं। यह अध्ययन शैक्षिक प्रशासन एवं नीति-निर्माताओं के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है।

मुख्य शब्द— व्यवसायिक संतुष्टि, नवीन वेतनमान, माध्यमिक विद्यालय, पुरुष एवं महिला अध्यापक, तुलनात्मक अध्ययन, वेतन संरचना, जनपद बहराइच

Introduction

आधुनिक समय में प्रत्येक व्यवसाय का निजीकरण होता जा रहा है इससे शिक्षा विभाग भी अछूता नहीं है। एक ओर तो निजी शिक्षा संस्थाएँ शिक्षकों को बहुत कम वेतन देती हैं और बदले में उनका शोषण करते हुए अध्यापन के अतिरिक्त और भी अधिक कार्य लेती हैं। पराकाष्ठा यह कि इन सबके बाद भी इन निजी शिक्षण संस्थाओं में जॉब की अनिश्चितता सदैव बनी रहती है जिससे यहाँ पर सेवारत अध्यापक एक प्रकार के मानसिक तनाव के दबाव का शिकार बन कर रहता है। दूसरी ओर सरकारी शिक्षण संस्थाओं में भी वेतनमान कोई बहुत अच्छे नहीं कहे जा सकते हैं। साथ ही साथ आधारभूत संरचनाओं का भी अभाव रहता है। दिनोंदिन बढ़ता हुआ राजनैतिक प्रभाव यहाँ भी अध्यापकों में एक प्रकार का तनाव बनाये रखता है जिससे निदान पाने के लिए शिक्षक राजनैतिक आश्रय ढूँढ़ने में ही अपनी भलाई देखते हैं। अभी हाल में ही नवीन वेतन आयोग ने शिक्षकों के वेतन में पर्याप्त वृद्धि की है जिससे उनका सामाजिक एवं आर्थिक स्तर ऊँचा होगा यह एक निर्विवाद सत्य है, लेकिन यह वेतन आयोग केवल शासकीय एवं अनुदानित संस्थाओं में शिक्षकों के सन्दर्भ में लागू है। अशासकीय तथा स्ववित्तपोषित निजी शिक्षण संस्थान इस वेतन आयोग के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं हैं। कुछ अनुसंधानकर्ताओं ने अध्यापकों की कार्यसंतुष्टि का आभिप्रेरण के साथ अध्ययन किया इनमें आन्द्रेविषय (1996) का नाम प्रमुख है। टेलर (2007) ने यह पाया कि अध्यापक अन्य क्षेत्रों में मिलने वाले वेतनों की तुलना में अपने वेतन से असंतुष्ट थे। बेव (2012) ने यह निष्कर्ष निकाला कि प्रधानाचार्यों के लिये आर्थिक स्थिति उनकी असंतुष्टि का कारण नहीं थी।

उपर्युक्त अनुसंधानों से यह स्पष्ट है कि पुरुष तथा महिला अध्यापकों की व्यवसायिक संतुष्टि का तुलनात्मक अध्ययन उनकी आर्थिक परिलब्धियों से अभी तक नहीं हुआ है। अतः इस अनुसंधानकर्ता ने उपर्युक्त शोध अध्ययन को पूर्ण करने का निर्णय लिया। इस अध्ययन का शीर्षक है, “जनपद बहराइच के माध्यमिक विद्यालयों में सेवारत पुरुष एवं महिला अध्यापकों की नवीन वेतनमान के सन्दर्भ में व्यवसायिक संतुष्टि का एक तुलनात्मक अध्ययन”।

शोध अध्ययन के उद्देश्य— वर्तमान शोध अध्ययन के उद्देश्य इस प्रकार है—

1. जनपद बहराइच के शासकीय माध्यमिक विद्यालयों में सेवारत पुरुष एवं महिला अध्यापकों की कार्यसंतुष्टि की नवीन वेतन आयोग के सन्दर्भ में तुलनात्मक अध्ययन करना।
2. जनपद बहराइच के अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में सेवारत पुरुष तथा महिला अध्यापकों में नवीन वेतन आयोग के सन्दर्भ में कार्यसंतुष्टि पर पड़ने वाले प्रभाव का तुलनात्मक अध्ययन करना।

शोध अध्ययन की परिकल्पनाएँ — वर्तमान शोध अध्ययन में निम्न परिकल्पनाओं का परीक्षण किया गया है—

1. नवीन वेतन आयोग के सन्दर्भ में जनपद बहराइच के शासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत पुरुष तथा महिला अध्यापकों की कार्यसंतुष्टि में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
2. नवीन वेतन आयोग के सन्दर्भ में जनपद बहराइच के अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में सेवारत पुरुष तथा महिला अध्यापकों की कार्यसंतुष्टि में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

अनुसंधान विधि :— वर्तमान शोध अध्ययन में अनुसंधानकर्ता ने सर्वेक्षण अनुसंधान विधि का प्रयोग किया है। इस शोध अध्ययन में जनपद बहराइच के माध्यमिक विद्यालयों को लिया गया है। इसलिये जनसंख्या में इस जनपद के सभी शासकीय तथा अशासकीय/सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों को सम्मिलित किया गया है। इस शोध अध्ययन में वित्तविहीन माध्यमिक विद्यालयों को सम्मिलित नहीं किया गया है क्योंकि इन अध्यापकों को नवीन वेतनमान का लाभ नहीं दिया जाता है। जनपद बहराइच के सभी शासकीय तथा अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में से अनुसंधानकर्ता ने स्तरीकृत यादृच्छिक न्यादर्श विधि से 8 शासकीय तथा 9 अशासकीय विद्यालयों का चयन किया है। इस प्रकार न्यादर्श में चयनित 17 माध्यमिक विद्यालयों में से अनुसंधानकर्ता ने उपलब्धता के आधार पर 200 अध्यापकों का चयन किया है। इन 200 अध्यापकों में 100 महिला एवं 100 पुरुष अध्यापक सम्मिलित थे। अनुसंधानकर्ता ने माध्यमिक शिक्षकों की व्यवसायिक संतुष्टि का मापन करने के लिए डॉ० मीरा दीक्षित द्वारा निर्मित प्राथमिक तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की व्यवसायिक संतुष्टि हेतु मापनी के हिन्दी संस्करण का प्रयोग किया। इस अध्ययन की विश्वसनीयता 0.93 थी और बৈधता भी पर्याप्त है।

प्रयुक्त सांख्यिकी विधियाँ :— वर्तमान शोध अध्ययन के आकड़ों से निष्कर्ष प्राप्त करने हेतु अनुसंधानकर्ता द्वारा माध्यमान, मानक विचलन एवं क्रान्तिक मान की गणना की गयी है।

आकड़ों का विश्लेषण एवं निष्कर्ष :— उपर्युक्त परिकल्पनाओं की जाँच करने के लिए अनुसंधानकर्ता ने यह अध्ययन किया कि नवीन वेतन आयोग की संस्तुतियों के फलस्वरूप हुई वेतन वृद्धि से महिला एवं पुरुष अध्यापकों की कार्यसंतुष्टि से कितना प्रभाव पड़ा है। इसकी पूर्ति के लिए अनुसंधानकर्ता ने न्यादर्श में चयनित शासकीय संस्थाओं के 100 अध्यापक (50 पुरुष तथा 50 महिला) एवं अशासकीय संस्थाओं से 100 अध्यापक (50 पुरुष तथा 50 महिला) से कार्यसंतुष्टि मापनी के माध्यम से आकड़े प्राप्त किये। इन आकड़ों से शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों के पुरुष एवं महिला अध्यापकों के लिए पृथक-पृथक वर्गीकरण

तैयार किये गये। इन वर्गीकरणों से मध्यमान, मानक विचलन एवं क्रान्तिकमानों की गणना की गयी जिसे निम्नलिखित सारणी में प्रस्तुत किया जा रहा है।

सारणी

शासकीय एवं अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों के महिला एवं पुरुष अध्यापकों की कार्य संतुष्टि के मध्यमान, मानक विचलन तथा क्रान्तिकमान।

क्रमांक	समूह की प्रकृति	न्यादर्श	मध्य मान	मानक विचलन	क्रान्ति मान	सार्थकता स्तर
1	शासकीय संस्थाओं की महिला शिक्षक	50	114.3	29.1	0.359	N.S.*
2	शासकीय संस्थाओं के पुरुष शिक्षक	50	112.11	32.00		
3	अशासकीय संस्थाओं की महिला शिक्षक	50	113.68	35.3	4.42	.01 पर सार्थक
4	अशासकीय संस्थाओं के पुरुष शिक्षक	50	88.9	18.1		

N.S.* सार्थक नहीं

उपर्युक्त सारणी में शासकीय संस्थाओं के महिला एवं पुरुष शिक्षकों के कार्यसंतुष्टि के मध्यमान एवं मानक विचलन क्रमशः 114.3, 112.1 तथा 29.1, 32.0 है। मध्यमान तथा मानक विचलन के आधार पर क्रान्तिकमान 0.359 प्राप्त हुआ जो सार्थकता स्तर 05 पर भी सार्थक नहीं पाया गया। इस आधार पर प्रयुक्त शून्य परिकल्पना स्वीकार की जाती है और यह निष्कर्ष भी प्राप्त किया जा सकता है कि शासकीय संस्थाओं के पुरुष एवं महिला शिक्षकों की कार्यसंतुष्टि में कोई सार्थक अन्तर नहीं है और वे संतुष्टि के आधार पर समान हैं।

सारणी से यह भी स्पष्ट है कि अशासकीय संस्थाओं की महिला एवं पुरुष शिक्षकों की संतुष्टि के मध्यमान एवं मानक विचलन क्रमशः 113.68, 88.9 तथा 35.3, 18.1 थे। इन आकड़ों से क्रान्तिक मान 4.42 प्राप्त हुआ जो 01 स्तर पर सार्थक पाया गया। इस आधार पर अनुसंधानकर्ता द्वारा निर्मित शून्य उपकल्पना निरस्त की जाती है और यह निष्कर्ष प्राप्त किया जाता है कि अशासकीय संस्थाओं के महिला एवं पुरुष शिक्षकों की कार्यसंतुष्टि का अन्तर सार्थक एवं महत्वपूर्ण है। चूंकि अशासकीय संस्थाओं की महिला शिक्षकों की कार्यसंतुष्टि का मध्यमान (113.68) पुरुष शिक्षकों के मध्यमान (88.9) से 24.78 अधिक है। इस लिए मैं यह कहा जा सकता है कि अशासकीय संस्थाओं की महिला अध्यापक अपने साथी पुरुष अध्यापकों की तुलना में अपने कार्यों से अधिक संतुष्ट थी।

विवेचना :- महिला एवं पुरुष अध्यापकों को समाज में समान अधिकार प्राप्त हैं। उनकी नियुक्ति भी समान योग्यताओं के आधार पर होती है। किन्तु अधिकांश महिला अध्यापकों को अपने शिक्षण के कर्तव्यों के अतिरिक्त घरेलू दायित्वों की जिम्मेदारी भी उठानी पड़ती है। यह स्वाभाविक है कि वे विद्यालय कार्यों को

जल्दी-जल्दी पूरा करके घरेलू कार्यों की चिन्ता भी करती रहती हैं। ऐसा सोचने से वे विद्यालय के दायित्वों को निष्ठा के साथ-समय से पूरा करती हैं। इस सोच के आधार पर यह स्वाभाविक है, कि महिला एवं पुरुष अध्यापकों की व्यवसायिक कार्य संतुष्टि में अन्तर होना चाहिए। वर्तमान अनुसंधान में शासकीय विद्यालयों की कार्य संतुष्टि का लिंग के साथ कोई अन्तर प्राप्त नहीं हुआ जबकि अशासकीय संस्थाओं की महिला शिक्षकों की व्यवसायिक कार्य संतुष्टि पुरुष अध्यापकों की तुलना में अधिक प्राप्त हुई। अनुसंधानकर्ता द्वारा प्राप्त निष्कर्ष सामान्य मान्यता के अनुरूप प्रतीत होता है। किन्तु इससे सम्बन्धित कोई अनुसंधान अभी उपलब्ध नहीं हुआ जिसके आधार पर वर्तमान अध्ययन के निष्कर्षों की तुलना की जा सके। अतः इस सम्बन्ध में अधिक अनुसंधान की आवश्यकता है।

निष्कर्षों का सारांश :- अनुसंधान में निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त किये गये—

1. शासकीय संस्थाओं के शिक्षकों की व्यवसायिक कार्यसंतुष्टि में लिंग के आधार पर कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
2. अशासकीय संस्थाओं की महिला शिक्षकों की व्यवसायिक कार्यसंतुष्टि पुरुष अध्यापकों की तुलना में अधिक है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची :-

1. Garsett, H.E. (1979), "Statistics Psychology and Education. "Bombay, Vakiles, Feffer and Simons Ltd.
2. ABDER BISHAY (1996), "Teacher Maturation and job Satisfaction. A study Employing Experience Sampling Method S. Under Grad. Sci 3:147-154.
3. Taylor. J.R. (2007), " Job satisfaction Among high school Assistant Principals in Seven Florida Counties"
4. Webb X.J. (2012), Measuring Job Satisfaction Among Kentucky Head Principals Using The Rasch Rating Scale Model Dissertation College of Education University of Kentucky
5. शर्मा आर०ए० (2006), शिक्षा अनुसंधान आर० लाल बुक डिपो, मेरठ।
6. राय पारस नाथ (2007), अनुसंधान परिचय लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, आगरा।
7. गुप्ता एस०पी० (2009), आधुनिक मापन एवं मूल्यांकन, शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद।